

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273279
SG-DL-E-10062026-273279असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]	दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 62
No. 19]	DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISHTHA 12, 1948	[N. C. T. D. No. 62

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि एवं भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 मई, 2026

सं. फा.1/37/2003/भूमि एवं भवन विभाग/रिट सेल/3775-88.— माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(7) के अर्थ में एतद्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए दिल्ली सरकार और/या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा सचिव, भूमि एवं भवन विभाग/ भूमि अधिग्रहण कलेक्टर्स से संबंधित सभी मामलों में केंद्र सरकार और/या जन-अधिकारी, जिनके बचाव की जिम्मेदारी इसके द्वारा ली गई है, के द्वारा या विरुद्ध किसी मुकदमे / अपील या अन्य, किसी कार्यवाही के लिए श्री संजय कुमार पाठक, अधिवक्ता को स्थायी अधिवक्ता के रूप में उनकी नियुक्ति के कार्यकाल को दिनांक 23.05.2026 से 22.05.2027 तक के लिए विस्तारित करते हैं।

श्री संजय कुमार पाठक, अधिवक्ता की स्थायी अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति अधिसूचना संख्या F.5(4)/Lit./2010/DS2 Law/578-580 दिनांक 27.04.2010 में निहित नियमों एवं शर्तों तथा समय-समय पर निर्धारित अन्य नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के आदेशानुसार एवं उनके नाम से
राजीव सिंह, विशेष सचिव (भूमि एवं भवन विभाग)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th May, 2026

No. F.1/37/2003/L&B/WC/Vol.-III/3775-88.— The Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to approve the extension of appointment of Shri Sanjay Kumar Pathak, Advocate as Standing Counsel within the meaning of Section 2(7) of the Code of Civil Procedure, 1908 for the High Court of Delhi at New Delhi in relation to any suit, Appeal, Writ or other proceedings by or against the Govt. of Delhi through Secretary, Land & Building Department and/or Union of India/Land Acquisition Collector(s) in relation to the affairs of the National Capital Territory of Delhi (Land & Building Department) and /or Public Officer(s) whose defence has been undertaken by it, for a period with effect from 23.05.2026 to 22.05.2027.

The appointment of Shri Sanjay Kumar Pathak, Advocate as Standing Counsel will be subject to terms and conditions as contained in notification N.F.5(4)/Lit./2010/DS2Law/578-580 dated 27.04.2010 and also as may be prescribed from time to time.

This notification shall come into force with immediate effect.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
RAJEEV SINGH, Special Secretary (L&B)